भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय रिज़र्व बैंक : यादृच्छिक विचार *

या.वे. रेड्डी

मैं आयोजकों के प्रति आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे गरिमापूर्ण यशवंतराव चव्हाण स्मारक व्याख्यान 2007-2008 देने का गौरव प्रदान किया है । मैं स्मारक व्याख्यान आयोजित करने के लिए भारतीय जन प्रशासन संस्थान (आइआइपीए), महाराष्ट्र शाखा को साधुवाद देता हूं ।

इस आमंत्रण को स्वीकार करके, मैं आइआइपीए के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । मैं आइआइपीए का आजीवन सदस्य हूँ। 1960 के दशक में पी.एच.डी. के लिए शोध के दौरान मैंने दिल्ली में इसके पुस्तकालय और हॉस्टल सुविधाओं का व्यापक उपयोग किया था । आइआइपीए ने भारत में बहुस्तरीय आयोजना पर मेरी पुस्तक के मसौदे पर 1970 के दशक में एक अलग से सेमिनार भी आयोजित किया था ।

मुझे श्री चव्हाण के साथ काम करने का कोई अवसर नहीं मिला, यद्यपि राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था पर श्री चव्हाण के विशाल व्यक्तित्व के राष्ट्र-व्यापी प्रभावी को कोई भी नहीं भूल सकता । हममें से अधिकांश लोग पंद्रह वर्षों की अवधि के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में और गृह,रक्षा,विदेशी मामलों तथा वित्त के केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके योगदान के बारे में जानते हैं । 1963 में श्री वेल्स हैंगर ने अपनी पुस्तक ''आफ्टर नेहरू हू'' में राय व्यक्त की थी कि श्री चव्हाण नेहरू के उत्तराधिकार के लिए सबसे योग्यतम व्यक्ति होंगे ।

मैं वित्त मंत्रालय में श्री चव्हाण के साथ किए गए कार्य के संबंध में अपने एक सम्माननीय पूर्व सहयोगी भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डा. आई.जी. पटेल की पुस्तक '' ग्लिम्पसेज ऑफ इंडियन पॉलिसी :एन इनसाइडर्स व्यू'' में व्यक्त किए गए विचारों को उद्धृत करना चाहूँगा।

* श्री यशंवतराव चव्हाण स्मारक भाषण 2007-2008, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर या.वे. रेड्डी द्वारा 31 मार्च 2008 को भारतीय जन प्रशासन संस्थान, मुंबई शाखा में दिया गया ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था और भारतीय रिज़र्व बैंक : यादृच्छिक विचार

या.वे. रेड्डी

'' वे योग्य, शीघ्रग्राही और राजनैतिक चतुराई या व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के साथ हमारी सलाह पर ध्यान देकर निर्णय निर्मात्री प्रक्रिया पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देते थे। वे पूरी तरह सज्जन पुरुष थे, हमेशा सुलभ रहते थे और जिम्मेदारियां लेने के प्रति आतुर रहते थे .. . . . वे स्टाफ के प्रति निष्ठावान् थे, और उनकी एक मनोहारी आदत थी कि वे व्यर्थ की बहस में पड़ने के बजाय जब भी उन्हें थोड़ा सा वक्त मिलता था वे हमेशा कोई न कोई पुस्तक पढ़ने लगते थे ।''

रिज़र्व बैंक के लिए विशेष प्रासंगिक बात भारत की विनिमय दर नीति पर श्री चव्हाण के विचार थे । उन्होंने 22 दिसंबर 1971 को राज्य सभा में ''विदेशी मुद्रा समता'' पर चर्चा के दौरान विस्तारपूर्वक उत्तर दिया था । उन्होंने इस वाद-विवाद को ''ऐसे अति जटिल और नाजुक मामले पर एक बहुत रचनात्मक चर्चा'' के रूप में वर्णित किया । हम अर्थशास्त्री लोग जानते हैं कि यह कितना ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि यह डालर समता पर अमरीका के निर्णय से संबंधित हैं। तीस वर्ष पहले श्री चव्हाण द्वारा व्यक्त किए गए ऐसे कुछ विचार हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के कारण स्मरणीय हैं, वे उद्धरण हैं :

''अब जब हर कोई पक्ष तलाश रहा है और पुनःशक्ति संपन्न हो रहा है तथा उसकी मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है अथवा घट रहा है, तब आप स्थैतिक नहीं रह सकते क्योंकि आप इसका एक हिस्सा हैं, चाहे आपको यह पसंद हो अथवा नहीं । हम इस संसार के अंग हैं....

....अंततः इस वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्व में, सही कहा जाए, तो अपने देश में बिना ठोस औद्योगिक आधार के विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा करना बहुत कठिन होता जा रहा है, हम कौन सा पैमाना अपनाएं जिससे पता चल सके कि क्या हमारा निर्णय सही है या नहीं, क्या यह सुदृढ़ है अथवा कमजोर, हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि शक्ति और कमजोरियां अंततः इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या आपका निर्णय सही है अथवा गलत । इसके लिए सही कसौटी क्या है ?.....

श्री जैन ने एक बात कही । उन्होंने कहा कि मैंने स्टर्लिंग के मुकाबले रुपए के मूल्यह्रास के बारे में चर्चा क्यों नहीं की । मैंने इसकी अलग तरीके से चर्चा की । मैंने कहा कि स्टर्लिंग के मूल्य में वृद्धि हुई है.....

मुद्रा व्यवस्था, विदेशी मुद्रा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और हमें इसके बारे में बहुत सावधानी, सतर्कतापूर्वक और बुद्धिमत्ता से सोचना होगा ..... ।

राजनीतिज्ञ श्री चव्हाण को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संक्षेप में समीक्षा प्रस्तुत करना चाहूंगा, इसके बाद जैसा कि आयोजकों ने निवेदन किया है, रिज़र्व बैंक के कार्य-व्यवहार के बारे में कुछ विस्तार से बताऊँगा ।

भारतीय अर्थव्यवस्था : एक संक्षिप्त विहगावलोकन

20 वीं शताब्दी के पहले पाँच दशकों में जब तक कि हमें 1947 में आजादी नहीं मिल गई , भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद स्थिर था, क्योंकि इस अवधि के दौरान जीडीपी में रुझान वृद्धि 9.0 प्रतिशत थी जबकि जनसंख्या लगभग 0.8 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी ।

पूर्व के 50 वर्षों में लगभग स्थिर वृद्धि से तुलना करने पर 1950 से 1980 की अवधि के दौरान लगभग 3.5 प्रतिशत की औसतन वार्षिक वृद्धि तुलनात्मक रूप से बेहतर थी।

1980-81 से 25 वर्ष की अवधि में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की औसत वृद्धि दर लगभग 6.0 प्रतिशत थी - जो पिछले तीन दशकों की वार्षिक वृद्धि दर में हुए

काफी सुधार का उदाहरण है।

नई सहस्राब्दी में, जीडीपी वृद्धि दर 2000-01 से 2007-08 तक की सात वर्ष की अवधि के दौरान और बढ़कर औसतन 7.2 प्रतिशत हो गई है जबकि पिछले पाँच वर्षों (2003-04 से 2007-08तक) में वृद्धि दर औसतन 8.7 प्रतिशत रही है । वर्षों के दौरान, जबकि जीडीपी वृद्धि बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को तेज गति मिली है ।

सकल घरेलू निवेश दर के 2001-2002 में जीडीपी के 22.8 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2006-07 में 35.9 प्रतिशत होने से हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधि की सुदृढ़ता को समर्थन मिला है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस अवधि के दौरान निवेश के 95 प्रतिशत से अधिक का वित्तपोषण घरेलू बचतों से किया गया।

आजादी से, औसत आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति दर पचास वर्षों में केवल पाँच में 15 प्रतिशत के ऊपर रही और इन वर्षों के छत्तीस वर्षों में एक अंक पर रही। अधिकांश अवसरों पर अधिक मुद्रा स्फीति खाद्य अथवा तेल के आघातों के कारण थी । मुद्रास्फीति दर 1950 के दशक के दौरान 1.7 प्रतिशत के वार्षिक औसत से लगातार बढ़कर 1960 के दशक के दौरान 6.4 प्रतिशत तथा 1970 के दशक के दौरान 9.0 प्रतिशत हो गई, 1980 के दशक में यह मामूली रूप से घटकर 8.0 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति दर 1990-95 के दौरान 11.00 प्रतिशत के औसत से घटकर 1990 के दशक के उत्तरार्ध में 5.3 प्रतिशत हो गई। हाल के वर्षों में, मुद्रास्फीति दर का औसत लगभग 5 प्रतिशत है।

चौथाई शताब्दी में हाल के वृद्धि चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश की आघातों के प्रति नमनीयता है । इस अवधि के दौरान, हमने केवल एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट देखा है, जो व्यापक रूप से 1990 के दशक के प्रारंभ में खाड़ी युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ। बाद के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्व एशियाई संकट,1997-98 के दौरान रूसी संकट, पोखरन विस्फोट के पश्चात् पाबंदी जैसी स्थिति और मई-जून 1999 के दौरान सीमा संघर्ष के आघात के प्रतिकूल संक्रामी प्रभाव से सफलतापूर्वक बच सकी। इस संदर्भ में देखते हुए, हाल के तेल और खाद्य आघातों के सामने यह सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और नमनीयता को दर्शाता है ।

यह ध्यान देना आवश्यक है कि हाल के उत्साहवर्जक कार्यनिष्पादन के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । इनका संबंध, विशेष रूप से, निर्धनता,शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, भौतिक आधारभूत सुविधा और राजकोषीय मुद्दों से है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में रिज़र्व बैंक की क्या भूमिका रही है ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रिज़र्व बैंक ने, सार्वजनिक नीति के एक भाग के रूप में, समग्र मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता में कुछ योगदान किया है, जबकि हाल की अवधि में वृद्धि को सम्मानजनक स्तर तक पहुँचाया है । इसके अलावा, सामान्य रूप से यह मान लिया गया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में पर्याप्त शक्ति और नमनीयता है, यद्यपि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में, सार्वजनिक प्रशासन की अधिकांश विषय सामग्री केंद्र और राज्य सरकारों , सांविधिक निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और संवैधानिक

निकायों के संगठन तथा कार्य-प्रणाली पर केंद्रित है । शायद इस अंतराल को भरने तथा रिज़र्व बैंक के संगठन और कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक चर्चा पर शेष संबोधन करना उचित होगा।

रिज़र्व बैंक के अधिदेश के संबंध में

मैंने अपने मित्र श्री काले, जिनसे हमारी तीस वर्ष से थोड़े अधिक समय से मित्रता है, से अनुरोध किया था कि वे आज के संबोधन के फोकस पर मुझे सलाह दें। उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक क्या कार्य करता है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। विशेष रूप से, उन्होंने सुझाव दिया कि मैं रिज़र्व बैंक में निर्णय निर्मात्री प्रकिया पर और उस सीमा तक, जहाँ तक वित्त मंत्रालय की भूमिका होती है, पर चर्चा करूँ। मुझे विश्वास है कि श्री काले न केवल जिज्ञासु रहे हैं बल्कि सरलतापूर्वक ऐसे जटिल, यद्यपि विवादास्पद नहीं, मुद्दे रखने में चतुर भी रहे हैं । फिर भी मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ ।

रिज़र्व बैंक की निजी शेयरधारकों के एक बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत स्थापना की गई, लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की प्रस्तावना में रिज़र्व बैंक के गठन के मूल उद्देश्य दिए गए हैं जिसका कार्य 'बैंक नोटों के निर्गम को नियमित करना और देश में मौद्रिक स्थिरता के लिए सुरक्षित भण्डार बनाए रखना तथा सामान्य रूप से, देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को इसके लाभ के लिए परिचालित करना' है। इस प्रकार, मूल्य स्थिरता अथवा औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए कोई स्पष्ट अधिदेश नहीं है। वर्षों के दौरान, भारत में मौद्रिक नीति के दो उद्देश्य उभरकर सामने आए हैं: मूल्य स्थिरता को बनाए रखना तथा वृद्धि प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। दो उद्देश्यों के बीच सापेक्षिक बल को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संयोजित किया जाता है और इसका उल्लेख नीति वक्तव्य में किया गया है। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को भी नीति वक्तव्य में शामिल किया गया है।

रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी सौंपा गया है जो इसके तुलन-पत्र में परिलक्षित होता है। जबकि रिज़र्व बैंक आवश्यक रूप से मौद्रिक प्राधिकारी है, इसलिए नींव रखनेवाले कानून में इसे भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधक और सरकार के बैंकर के रूप में अधिदेश दिया गया है।

इसकी नींव रखने वाले कानून के अनुसार जबकि रिज़र्व बैंक को देश का मौद्रिक प्राधिकारी कहा गया है, रिज़र्व बैंक को बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य भी 1949 में बनाए गए एक पृथक विधान अर्थात बैंक्कारी विनियमन अधिनियम द्वारा सौंपे गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक विशेष रूप से विदेशी मुद्रा विनियमय अधिनियम (फेरा), 1973 के अन्तर्गत विनिमय नियंत्रण का कड़ा प्रशासन करता है लेकिन, उदारीकरण लाने के लिए जून 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) बनाकर कानूनी ढांचे में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाया गया जिसने फेरा का स्थान लिया। इसके साथ, विदेशी मुद्रा विनियमन को विदेशी व्यापार और भुगतान को आसान बनाने तथा भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और कार्य करने के रूप में पुनःपरिभाषित किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम द्वारा रिज़र्व बैंक को कतिपय कारोबार जैसे, व्यापार,

किसी वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य उपक्रम से सीधे ब्याज लेने; किसी कंपनी के शेयर खरीदने या शेयरों पर ऋण देने; अचल संपत्ति की जमानत पर अग्रिम देने; और मांग के बजाय अन्यथा रूप के देय बिलों को जारी करने या स्वीकार करने की मनाही है। इन प्रतिबंधों का आशय संस्था की अखंडता को सुरक्षित रखना है।

अभिशासन व्यवस्थाएं

रिज़र्व बैंक के ''मामलों और कारोबार के सामान्य अधीक्षण और निदेशन'' का दायित्व '' केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा गया है ''। सरकार द्वारा नामित केंद्रीय बोर्ड में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए चौदह प्रमुख व्यक्ति[1] होते हैं, जो गैर सरकारी निदेशक होते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का सचिव भी केंद्रीय बोर्ड का निदेशक होता है, वह बोल सकता है लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। इसके अलावा, गवर्नर और उप गवर्नरों को भी क्रमशः बोर्ड के अध्यक्ष और गैर मतदान निदेशक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय बोर्ड वर्ष में कम से कम छह बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करता है।

रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड की एक समिति होती है जो कार्यपालक बोर्ड के स्वरूप की होती है और सप्ताह में एक बार बैठक करती है। केन्द्रीय बोर्ड की समिति के कोरम के लिए कम से कम एक गैर सरकारी निदेशक की उपस्थिति आवश्यक होती है। वर्तमान में साप्ताहिक बैठकों के लिए मुंबई में रहने वाले पाँच गैर सरकारी निदेशकों में से तीन या चार की सामान्य उपस्थिति की आवश्यकता होती है। साप्ताहिक बैठकों में अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है तथा इसमें रिजर्व बैंक के साप्ताहिक लेखा (जिसे अनुमोदन के तुरंत पश्चात् प्रत्येक सप्ताह रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाता है) और भारिबैं के कारोबार के सामान्य संचालन से संबंधित अन्य मामलों का अनुमोदन किया जाता है। गवर्नर और उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ उपलब्ध उप गवर्नर इन बैठकों की अध्यक्षता करता है।

बैंकिंग प्रणाली, विकास वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्राथमिक व्यापारियों के पर्यवेक्षण का कार्य एक पृथक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा किया जाता है जिसे रिज़र्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए अलग-अलग विनियमों के द्वारा सरकार द्वारा गठित किया गया है। बीएफएस में केंद्रीय बोर्ड के चार गैर सरकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं और माह में कम से कम एक बैठक करते हैं, यह विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में वास्तविक रूप से कार्यपालक बोर्ड के रूप में कार्य करता है। जबकि गवर्नर बीएफएस की बैठकों की अध्यक्षता करता है जिसमें सभी उप गवर्नर सदस्य होते हैं, एक उप गवर्नर वास्तविक रूप से इसका पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है। मामला-आधारित समीक्षा और निदेशों के अलावा, बीएफएस अलग-अलग बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करता है और चुनिंदा मामलों में वैयक्तिक बैंकों की मासिक निगरानी भी की जाती है। इस प्रकार एक अर्थ में, पर्यवेक्षण कार्य स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है लेकिन रिज़र्व बैंक के अन्तर्गत।

1 भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हैं डॉ.अशोक एस. गांगुली, श्री अजीम प्रेमजी, डॉ.डी.जयवर्धन वेलू, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री लक्ष्मी चंद्र, श्री वाइ.एच.मालेगाम, प्रो.मनमोहन शर्मा, श्री एच.पी. रानिना, प्रो.यू.आर.राव, श्री संजय लब्रु, श्रीमती शशि रेखा राजगोपालन, श्री सुरेश नेवतिया, श्री सुरेश डी. तेंदुलकर और डा.ए.वैद्यनाथन।

2006 के पहले, मूल रूप से गठित बोर्ड में निदेशक शामिल थेः डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम, डॉ.अमृता पटेल, श्री डी.एस.ब्रार, श्री के.माधव राव, प्रो.मिहिर रक्षित, श्री एन.आर.नारायण मूर्ति, प्रो.सी.एन.आर.राव। श्री रतन टाटा, श्री के.पी.सिंह, श्री सुरेश कृष्ण और प्रो.वी.एस. व्यास ।

सरकार द्वारा एक पृथक विनियम के माध्यम से हाल में बनाया गया एक दूसरा निकाय भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड (बीपीएसएस) है जिसमें केंद्रीय बोर्ड के दो गैर सरकारी निदेशक सदस्य होते हैं और जिसकी तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। बीपीएसएस का, हाल में बनाए गए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के उपबंधों के सुसंगत, पुनर्गठन किया जा रहा है।

इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड की तीन स्थायी समितियां हैं। निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप समिति में केंद्रीय बोर्ड के चार गैर सरकारी निदेशक होते हैं। भवन उप समिति और स्टाफ उप समिति प्रत्येक में केंद्रीय बोर्ड के कम से कम दो गैर सरकारी निदेशक होते हैं और ये रिज़र्व बैंक की दो महत्वपूर्ण वित्तेतर आस्तियों पर निगरानी रखते हैं।

देश के चार क्षेत्रों के लिए रिज़र्व बैंक के चार स्थानीय बोर्ड भी है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पाँच गैर सरकारी सदस्य होते हैं और केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों में से एक अध्यक्ष होता है। स्थानीय बोर्ड भेजे गए मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देता है और हाल के केंद्रीय बोर्ड के संकल्प के अनुसार उसे प्रत्यायोजित कर्तव्यों को निष्पादित करता है।

हाल के वर्षों में, हमारी अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापक समन्वयन के कारण मौद्रिक नीति का संचालन जटिल हो गया है और इसे महत्व दिया जाने लगा है। यद्यपि समुचित निर्णय लेने के लिए मौद्रिक नीति समिति की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, 2005 में आंतरिक रूप से तय किया गया कि मौद्रिक नीति पर एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी-एमपी) बनाई जाए। वर्तमान में, टीएसी-एमपी में चार उप गवर्नरों और गवर्नर के अलावा, केन्द्रीय बोर्ड के दो गैर सरकारी निदेशक और पांच स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीएसी-एमपी सामान्यतया वार्षिक नीति की घोषणा अथवा मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा के एक सप्ताह पहले एक तिमाही में एक बार बैठक करती है।

संसद के प्रति रिज़र्व बैंक का दायित्व आवश्यक रूप से वित्त मंत्रालय के माध्यम से होता है, यद्यपि गवर्नर और उप गवर्नर बुलाए जाने पर संसदीय समितियों के सामने उपस्थित होते हैं, विशेष रूप से वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने।

इस प्रकार, रिज़र्व बैंक में औपचारिक अभिशासन प्रबंध निर्णय करने के लिए सहशासनात्मक दृष्टिकोण के प्रति उन्मुख है। फिर भी, अधिकांश केंद्रीय बैंकों की तरह, संगठन में गवर्नर की एक विशेष स्थिति होती है। विधिक व्यवस्था और परंपराएं, जो गवर्नर को कुछ प्राधिकार सौंपती हैं, इस विशेष स्थिति के समतुल्य होती हैं। चूंकि गवर्नर को सरकार और कुल मिलाकर जनता की आँखों में रिज़र्व बैंक का सार्वजनिक चेहरा माना जाता है, अतः गवर्नर को सामान्यतया वास्तविक रूप से उत्तरदायी समझा जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता

व्यावहारिक तौर पर, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों अर्थात वैयक्तिक मामलों सहित प्रबंधकीय क्षेत्र, वित्तीय पक्ष; और नीतिगत पक्ष से संबंधित है।

[2] वर्तमान में टीएसी-एमपी में बाह्य विशेषज्ञ हैं, डी.एम. नाचाने, डॉ.आर.एच.पाटिल, डॉ.शंकर आचार्य, श्री सुमन बेरी और श्री एस.एस.तारापोर।

प्रबंधकीय स्वतंत्रता से तात्पर्य केंद्रीय बैंक के शीर्ष अधिकारियों और संचालन निकाय की नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल और बर्खास्तगी की प्रक्रिया से है। इसमें केंद्रीय बैंक के संचालन निकाय में सरकार के प्रतिनिधित्व की संख्या और स्वरूप तथा निदेश जारी करने संबंधी सरकार की शक्तियां शामिल हैं।

वित्तीय स्वतंत्रता से तात्पर्य केंद्रीय बैंक ऋणों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार के व्यय के वित्तपोषण की सीमा तय करने में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता से है। सरकार की केंद्रीय बैंक के ऋणों तक प्रत्यक्ष अथवा स्वतः पहुंच का नैसर्गिक तात्पर्य है कि मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति के अधीन है।

अंत में, नीतिगत स्वतंत्रता का संबंध, एक निश्चित अधिदेश के अंतर्गत, केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति के निर्माण और निष्पादन में दी गई नमनीयता से है।

केंद्र सरकार जनहित में आवश्यक समझे जाने पर गवर्नर से विचार-विमर्श करके रिज़र्व बैंक को निदेश दे सकती है, पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों और कारोबार के समग्र प्रबंधन का दायित्व केंद्रीय निदेशक मंडल के पास है। गवर्नर और उप गवर्नर सहित केंद्रीय बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है तथा उन्हें अधिक्रमित अथवा हटाया जा सकता है।

स्टाफ संबंधी पैटर्न को रिज़र्व बैंक पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उनकी सेवाशर्तों और वेतन को संचालित करने वाले नियम वर्तमान में सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्र और विशेषतया बैंकिंग क्षेत्र से अलग नहीं हैं।

सरकार की तुलना में रिज़र्व बैंक के वित्तीय पहलुओं के मामले में, 1997 तक राजकोषीय घाटों के स्वतः मुद्रीकरण को समाप्त करना और 2003 में राजकोषीय जबाबदेही और बजट प्रबंधन विधान बनाया जाना, वृद्धिशील राजकोषीय नीति के दुष्परिणामों से मौद्रिक नीति को महफूज रखने तथा रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। परिणामस्वरूप, कुछ आकस्मिकताओं को छोड़कर, रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिम पर सीमा लगाई गई है और सभी सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में सहभागिता करने से रिज़र्व बैंक को रोका गया है।

रिज़र्व बैंक ने धीरे-धीरे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए रियायती वित्त अथवा पुनर्वित्त प्रदान करने की प्रथा को बंद कर दिया है, यद्यपि ऐसा करते रहने के लिए वैधानिक प्रावधान हैं। रिज़र्व बैंक विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष राजकोषीय सहायता देने पर जोर देता है जिससे यह सहायता, रिज़र्व बैंक के मौद्रिक परिचालनों के माध्यम के बजाय, जो अर्ध राजकोषीय परिचालनों के बरकरार होगी, पारदर्शी, उत्तरदायी और संख्यात्मक हो सके।

रिज़र्व बैंक अपनी आरक्षित निधियों के लिए प्रावधान और अंतरण करने के पश्चात, अपने वार्षिक लाभ के शेष के अंतरण द्वारा राजकोष में योगदान करता है। ऐसे अंतरणों से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को 1997 की सुधार प्रक्रिया के अंग के रूप में तर्कसंगत बनाया गया है। इस व्यवस्था को, एक अवधि में तुलन पत्र में आरक्षित निधियों को निर्धारित स्तर तक पहुंचाने के लिए रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाया गया है, यद्यपि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा को, त्वरित राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बढ़ा दिया जाता है।

सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों ने, निःसंदेह, अब तक सामान्य रूप में सफल नीतिगत परिणामों में अंशदान किया है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि विश्लेषण, दृष्टिकोण, न्याय निर्णयन और साधनों में कोई मतभेद है। विधिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, जबकि यह अनौपचारिक रूप में या औपचारिक रूप में अपना मत रखने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन जहां तक संभव हो, स्पष्ट रूप से, रिज़र्व बैंक सामान्यतया सरकार की इच्छाओं और अंतिम रुचि का ध्यान रखता है। तथापि, रिज़र्व बैंक को अपने सभी निर्णयों और कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होती है, यद्यपि यह अपनी विश्वसनीयता पर अभिव्यक्तियों और कार्यों के पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सामान्य रूप से जागरूक होता है। सरकार, अपनी ओर से, रिज़र्व बैंक के सामने आई दुविधाओं को समझती है और रिज़र्व बैंक के निर्णयों को पूरा महत्व देती है।

सार में, विधितः रिज़र्व बैंक को कुछ औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हाल की प्रवृत्तियों के अनुरूप स्वायत्तता नहीं प्रदान की गई है, लेकिन, वास्तव में, हाल के अनुभव दर्शाते हैं कि रिज़र्व बैंक क्रमिक रूप से काफी मात्रा में स्वायत्तता का उपभोग कर रहा है। सुधार की अवधि के दौरान 1991 से विशेषतया वित्तीय बाजार और मौद्रिक नीति के संचालन से संबंधित मामलों में और अधिक स्वायत्तता की तरफ क्रमिक रूप से और आपसी सहमति के आधार पर प्रगति हुई है।

वित्त मंत्रालय के साथ संबंध

एक प्रकार से मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है जब मैंने उल्लेख किया कि भारत में रिज़र्व बैंक को विधितः स्वायत्तता के बजाय अधिक वास्तविक स्वायत्तता मिली हुई है। यह मान लेना आवश्यक है कि वास्तविक स्वायत्तता केवल तभी संभव है जब केंद्र सरकार और विशेष रूप से वित्त मंत्रालय रिज़र्व बैंक में विश्वास और भरोसा कायम करे। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि सार अथवा समग्र अर्थ में स्वतंत्रता, व्यवहार में, सुगम नहीं है। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता अथवा सरकार की तुलना में इसकी स्वायत्तता की सीमा के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्रता किन कार्यों के बारे में, किन उद्देश्यों से, किस संदर्भ में तथा किन साधनों के माध्यम से ?

केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के बारे में हठधर्मी होने और विधिक ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक तरीके से किसी दिए गए संदर्भ में मूलभूत उद्देश्यों से संबंधित विषय के प्रति दृष्टिकोण बनाने से बचना आवश्यक है। शायद, भारतीय संदर्भ में और इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि रिज़र्व बैंक के पास मौद्रिक परिचालनों में काफी स्वायत्तता है, लेकिन यह सामान्यतया सार्वजनिक नीतियों के साथ अपनी नीतियों का तालमेल बैठाता है और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करता है।

इस खंड को समाप्त करने के पहले, यह स्पष्टीकरण पाना आवश्यक है जिसमें मैंने केंद्रीय बैंकों और सरकारों, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय के बीच संबंधों के बारे में वर्तमान में वैश्विक रूप से हो रही चर्चाओं की बात कही है।

एक, केंद्रीय बैंक बनाने का प्रमुख उद्देश्य समष्टि आर्थिक प्रबंधन के बारे में मोटे तौर पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना है। इस प्रकार, इसका परिप्रेक्ष्य सरकार से संभवतः अलग है।

दो, केंद्रीय बैंक को बनाने का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी व्यय के मुद्रास्फीतिकारी वित्तीयन से बचने के लिए मुद्रा निर्माण की शक्तियों (जो मौद्रिक प्राधिकारी के पास हैं) को मुद्रा व्यय करने की शक्तियों (जो सरकार के पास हैं) से अलग करना है। इस प्रकार निर्माण के कारण मूल ध्यान और बल भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

तीन, केंद्रीय बैंक की स्पष्ट अराजनैतिक पहचान मुद्रा और ऋण प्रणाली को हमेशा यथासंभव सुचारु रूप से परिचालित करके, राजनैतिक अस्थिरता के संभावित प्रतिकूल दुष्परिणामों को कम करने में देशों की मदद करती है।

चार, वित्तीय बाजार के उधारकर्ता और केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के प्रमुख स्वामी के रूप में, सरकार के हित केंद्रीय बैंक के हितों के साथ आवश्यक रूप से समरूप नहीं हो सकते हैं।

अंत में, यदि केंद्रीय बैंक हमेशा सरकार के साथ सहमति व्यक्त करता है, तो केंद्रीय बैंक, एक अलग निकाय के रूप में, फालतू हो जाता है, यदि यह लगातार इसके साथ असहमति व्यक्त करता है, तो यह अप्रिय हो जाता है। वास्तव में, प्रासंगिक मुद्दा यह है कि दिए गए संदर्भ में अवरोध और संतुलन कैसे कार्य करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक : सुधार प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण

आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में, भारत में सार्वजनिक नीति ने घरेलू अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किए हैं और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों के साथ-साथ रेसपांड कर रही है, जबकि यह परिणामी नवीन उभरती मांगों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं को पुनरभिमुख कर रही है। रिज़र्व बैंक सुधार का प्रबंध करने की इस प्रक्रिया का एक भाग भी है। मैं सुधार प्रक्रिया के प्रबंधन में रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालूंगा।

एक, संस्था में ज्ञान आधार और कौशल बढ़ाने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। रिज़र्व बैंक के अधिकारियों को निरंतर आधार पर अपने कौशल को अद्यतन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चुनिंदा अधिकारियों को हार्वर्ड,स्टेंफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, येले, एलएसई आदि सहित, प्रमुख विश्व विद्यालयों में लगभग एक वर्ष का प्रशिक्षण दिलाया जाता है, इन अधिकारियों की संख्या अब तक नब्बे के लगभग है। 60 के लगभग पीएचडी और सौ के ऊपर एमबीए अधिकारी वित्तीय क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ई-लर्निंग का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर शैक्षिक योग्यता अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये सब अधिकारियों को भारत में और विदेश दोनों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने के अलावा है।

दो, वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों संबंधी जानकारियों को निरंतर आधार पर एकत्र किया जाता है। बहुत से तकनीकी कागजों अथवा कार्य समूह की रिपोर्टों में, जिन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाता है, दैनंदिन रूप से तुलनात्मक देश-व्यवहारों के संदर्भ दिए जाते हैं। वास्तव में, एक समिति ने 2001 में वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर वैश्विक मानकों की तुलना में हमारे

मानकों तथा संहिताओं का मूल्यांकन किया था और तब से इनको अद्यतन किया जा रहा है। वर्तमान में, उप गवर्नर डा. राकेश मोहन की अध्यक्षता में और वित्त सचिव, डा. सुब्बाराव की सह अध्यक्षता में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन पर अंमुको/ विश्व बैंक की हैंडबुक (2005) का उपयोग करते हुए एक व्यापक स्वमूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में देश और विदेश के लगभग चालीस ख्यातिनाम विशेषज्ञों[3] से सलाह लेना शामिल है। स्व मूल्यांकन संबंधी यह रिपोर्ट शीघ्र ही पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारे वरिष्ठ अधिकारी कई बहुमुखीय कार्य समूहों जैसे वित्तीय स्थिरता फोरम और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में शामिल हैं, इस प्रकार के वैश्विक व्यवहारों का गहन अनुभव अर्जित कर रहे हैं। वास्तव में, हमारे कुछ पेशेवर अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर इन बहुमुखीय संस्थाओं और कुछ अन्य केंद्रीय बैंकों में भी कार्य करते हैं, इस प्रकार वे अनुभव संपदा वापस लेकर आते हैं । इसी प्रकार, व्यापक एक्सपोजर के लिए अधिकारियों को एनजीओ अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में कार्य करने के लिए चुना जाता है। क्षेत्रीय निदेशकों और विभागीय प्रमुखों का वार्षिक सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों[4] के प्रमुख व्यक्तियों से सीखने का अवसर प्रदान करता है।

तीन, बाहरी विशेषज्ञों से लाभ उठाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रिज़र्व बैंक के बाहर के विशेषज्ञों को, चाहे वे शिक्षाविद् हों अथवा बाजार सहभागी अथवा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि, रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए कार्यदल अथवा समितियों में सामान्यतया सदस्य के रूप में और कभी-कभी विशेष आमंत्रिती के रूप में रखे जाते हैं। उनकी सहभागिता हमारी स्थिति में कार्य की गुणवत्ता और उनकी सिफारिशों की कार्यान्वयनशीलता को बढ़ाती है। कई स्थायी समितियां आइआइटी, आइआइएम आदि[5] के प्रमुख प्रोफेसरों के परामर्श से लाभान्वित हुई हैं। स्थायी समितियां वित्तीय बाजार, प्रौद्योगिकी, वित्तीय विनियमन आदि जैसी गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बाह्य विशेषज्ञता निर्णय करने की गुणवत्ता और शुरू किए गए नीतिगत उपायों की विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

चार, निर्णय लेने और आंतरिक कार्य की प्रक्रिया को सहशासनात्मक अधिक और पदानुक्रमी कम बनाया गया है। रिज़र्व बैंक के कार्यों के विभिन्न पक्षों से संबंधित अंतर-विभागीय समूह बनाए गए हैं, उदाहरण के लिए, वित्तीय बाजार समिति (जो सुबह में कम से कम एक

[3] परामर्शदात्री पैनल के सदस्यों में शामिल हैं: श्री अमन मेहता, डा.अशोक गांगुली, श्री अशोक सूटा, डा.के.सी.चक्रवर्ती, डा.आर. चन्द्रशेखर, श्री गगन राय, डा.इंदिरा राजारमन, डा. जैमिनी भगवती, श्री महेश व्यास, श्री निमेश कंपानी, श्री नितिन देसाई, डा.ओंकार गोस्वामी, श्री पवन सुखदेव, डा. राजस परचुरे, डा.राजीवकुमार, डा.राजीव बी.लाल, डॉ. एम.टी.राजू, डा.टी.टी.राम मोहन, श्री एम बी एन राव, श्री रवि मोहन, श्रीमती शिखा शर्मा, श्री शुभाशीष गंगोपाध्याय, श्री यू.के.सिन्हा, श्री उदय कोटक, श्री सी.एम.वासुदेव और श्री एम एस वर्मा।

सुविख्यात समीक्षकों में शामिल हैं : श्री एंड्रू लार्ज, श्री संडू शेंग, श्री कार्ल हीरालाल, श्री एरिक रोजन ग्रेन, श्री ग्रेगोरी जॉन्सटन, श्री इयान मैकिंतोष, श्री माइकेल हाफमैन, श्री नील पैटरसन, श्री रंजीत अजीत सिंह, श्री शाने ट्रेगिलीस, श्री वी.सुंदरराजन, डा. सुशील वाधवानी, श्री विटो तांजी और प्रो. विलियम बूइटर।

4. पिछले चार वर्षों में सम्मेलन को संबोधित करने वालों में शामिल हैं: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, श्री आनंद महिंद्रा, श्री अजीम प्रेमजी, सुश्री चेतना गाला सिन्हा, डब्बावाला एसोसिएशन के पदाधिकारी, डॉ. देवी शेट्टी, श्री मोहन दास पई, डॉ. प्रीतम सिंह, डा. संदीप राणे, श्री सतीश प्रधान और डा. ई श्रीधरन।

5.इनमें प्रो.जाजू, प्रो. झुनझुनवाला, प्रो. कृष्णमूर्ति, श्री टी.वी.मोहनदास पई, डॉ. आर.एच.पाटिल, डॉ. फाटक, श्री राजेश दोषी, प्रो.राममोहन राव, प्रो.सारदा और प्रो. शिवकुमार शामिल हैं।

बार बैठक करती है), उप गवर्नर समिति (जो सप्ताह में एक बार बैठक करती है), विनियमित संस्था समूह, मौद्रिक नीति संबंधी रणनीतिक समूह, और आरक्षित निधि प्रबंधन संबंधी रणनीतिक समूह (महीने में एक बार बैठक करते हैं); और संकट प्रबंधन समूह (इसकी बैठक तब होती है जब संकट की संभावना होती है अथवा जब संकट होता है)। यह प्रक्रिया कार्य की गुणवत्ता और व्यापक सहभागिता/प्रतिबद्धता को बढ़ाने में मदद करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, अन्य नियामकों, आदि के साथ समन्वयन के प्रयोजन के लिए हमारी कई स्थायी समितियां/समूह हैं जैसे - नकदी और ऋण प्रबंधन, वित्तीय समुच्चय, और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड तथा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के तकनीकी समूह। ये मानक समन्वयकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता की जिम्मेदारी को देखते हुए, इनमें सक्रिय रुचि लेता है और उनसे लाभान्वित होता है।

पांच, सुधार प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण पर काफी जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक और राज्य सरकार के दुहरे नियंत्रण के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपनी इस भूमिका से छुटकारा पाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास सफल नहीं हुए। इसलिए, जहां राज्य सरकारों की इच्छा है, वहां राज्य सरकारों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने का लिए संस्थागत व्यवस्था की गई हैं। शहरी सहकारी बैंकों का संघ भी इस प्रक्रिया में शामिल है। परिणामस्वरूप, कई राज्यों में समझौता ज्ञापन के माध्यम से कार्य दल (टैफकब) की स्थापना की गई है। आपसी समझ के दूसरे उदाहरण का संबंध अर्थोपाय अग्रिम की प्रणाली को शुरू करने और केंद्र द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के पारित होने के पहले सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में रिज़र्व बैंक की सहभागिता को रोकने से है।

अंत में, अनेक मामलों में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है। उदाहरण के लिए, राज्य वित्त सचिवों का द्विवार्षिक सम्मेलन दस वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार के नामिती भी भाग लेते हैं। सम्मेलन कई अध्ययनों और कार्य समूहों का प्रायोजन करता है जिसके लिए रिज़र्व बैंक तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ऐसे कई मामलों पर सभी भागीदारों से लगातार प्रतिसाद मांगा जाता है जो रिज़र्व बैंक की विचारणा के अंतर्गत होते हैं। प्रायः ड्राफ्ट परिपत्रों को भी प्रतिसाद के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की संचार नीति अब कई प्रमुख राष्ट्रीय भाषाओं को कवर करती है - जैसा कि रिज़र्व बैंक की वेबसाइट देखने से स्पष्ट है।